

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती सिमलाडेवी बनाम रघिश्वाग (वैया)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-120 नं० 41 सन 2022

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्यर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए

3.22

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को समान नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 29.3.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

29³/₂₂ पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्राथीगण के समान बाद तामिल बेकर प्राप्त हुए गिसे शा.पत्र दिया गया। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई गिसे शा.पत्र दिया गया। अप्राथीगण से कितनी मर्बा आवाजे पिलायी जाने बाद भी अनुपस्थित। इनके बिकर एकतरफा कार्यवाही किये जावे का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.पत्र दिया गया। पत्रावली फैलल शुभर होकर ठामर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

नुकदमा संख्या - 41/22 प्रपत्र

1- श्रीमते विमला देवी जी 01A कल्याण बैरवा निवासी माण्डल तहसील

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री राजेशमाम पुत्र श्री नंदा देवी निवासी माण्डल तहसील तहसील

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29.3.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3138/585 कुल किता 01 रकबा 0.2529 बीघा 00 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4/3/2022 को पंजीबट किया जाकर प्रकरण को अग्रिम कार्य से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3138/585 कुल किता 01 रकबा 0.2529 बीघा 00 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जुहारीमा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल जिला भीलवाडा